I/48112/2023

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,चंडीगढ़ /**Integrated Regional Office, Chandigarh**

F.No.:- 9-HRB043/2023-CHA **दिनांक: July, 2023**

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ।
(fcforest@hry.nic.in)

विषय: **Diversion of 0.0126 ha of Forest Land for access to approach road from the proposed site of NTC Tiles LLP at Village – Sabilpur, Tehsil – Raipur Rani under Forest Division and District Panchkula, Haryana. (Online Proposal No. FP/HR/Approach/155309/2022)**

संदर्भ: State Government's Stage-I Compliance Letter No. E/688 dated 14.06.2023.

महोदय**,**

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें**,** जिसमेंवन **(**संरक्षण**)** अधिनियम**, 1980** की धारा**- 2** के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है **|** इस प्रस्ताव में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक **28.03.2023** द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी**,** जिसकी अनुपालना रिपोर्ट अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक **(FCA)** व नोडल अधिकारी के पत्र **क्रमांक** E/688 दिनांक **14.06.2023,** ऑनलाइन पोर्टल द्वारा प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त उद्देश्य हेतु **0.0126** हैक्टेयर वनभूमि के उपयोग हेतु विधिवत स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है**-:**

i. वन भूमि की विधिक **परिस्थिति** बदली नहीं जाएगी **|**

ii. **प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्ष/पौधे नहीं काटे जायेंगे और** वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा |

iii. प्रतिपूर्ति पौधारोपण राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार degraded वन भूमि ***Aasrewali PF, Panchkula Range*** में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त धनराशि से किया जायेगा**|**

iv. प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष केअन्दर हो जाना चाहिए**|**

v. **CEO, State CAMPA,** इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित सीए योजना के अनुसार **CA** वृक्षारोपण के लिए **DFO** को **CAMPA Scheme** के तहत धनराशि जारी करना सुनिश्चित **करेंगे |**

बेजनं.**24-25,** सेक्टर**-31** ए,चंडीगढ़-160030 /**Bays No.** 24-25, **Sector**-31 A**, Chandigarh**-160030
दूरभाष/**TelNo:**0172-2638061 **Fax No :** 0172-2638135 **Email:** ronz.chd-mef@nic.in

vi. **DFO** अनुमोदित **CA Site** पर वृक्षारोपण करना सुनिश्चित **करेंगे** और **MoEF&CC** की अनुमति प्राप्त किए बिना अनुमोदित **CA Site** को नहीं **बदलेंगे |**

vii. राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि को गैर-वानिकी कार्यो के लिए हस्तानान्तरण से पूर्व स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण **(CA)** क्षेत्र की **KML** फाइल को भारतीय वन सर्वेक्षण **(FSI)** के **E-Green Watch** पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी |

viii. यह अनुमति **99** वर्षों के लिए वैध होगी, इसके उपरान्त पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी |

ix. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।

x. जब कभी भी **NPV** की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई **NPV** की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी |

xi. साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न कियेजायेंगे |

xii. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसीअन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष कोहस्तांतरित नहीं किया जायेगा |

xiii. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के लेआउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

xiv. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |

xv. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्यजीवों केसंरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतू समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xvi. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम **1986,** केअनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी|

xvii. **Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019, MoEF&CC.**

xviii. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालयआदेश/ अनुदेशआदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी|

बेजनं.**24-25,** सेक्टर-**31** ए,चंडीगढ़-160030 /**Bays No.** 24-25, **Sector**-31 A, **Chandigarh**-160030
दूरभाष/**TelNo:**0172-2638061 **Fax No :** 0172-2638135 **Email:** ronz.chd-mef@nic.in

I/48112/2023

2. मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/ रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है।***राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी*** **|**

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी **किया जा रहा है|**

भवदीय

हस्ता/-

(राजा राम सिंह)

उप-वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

IRO, MoEF&CC, Chandigarh

Signed by
Raja Ram Singh
Date: 10-07-2023 21:02:30

प्रतिलिपि:-

1. वन महानिरीक्षक (आर.ओ.एच.क्यू), पर्यावरण**,** वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग़, अलीगंज, नई दिल्ली।(ramesh.pandey@nic.in)
2. PCCF (HoFF), Forest Department, Government of Haryana, C-18, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (pccf-hry@nic.in)
3. The Nodal Officer (FCA), Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (cffcpanchkula@gmail.com)
4. The CEO, CAMPA Haryana, Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (haryanacampa@gmail.com)
5. The Divisional Forest Officer, Forest Division & District Panchkula, Haryana. (dfomorni@gmail.com)
6. VISHNU GUPTA, House No. 132, Sector 12, Panchkula, Haryana- 134112. (vishnuuiet@gmail.com)

बेजनं.**24-25,** सेक्टर-**31** ए,चंडीगढ़-160030 /**Bays No.** 24-25, **Sector**-31 A**, Chandigarh**-160030
दूरभाष/**TelNo:**0172-2638061 **Fax No :** 0172-2638135 **Email:** ronz.chd-mef@nic.in